

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुधांशु शेखर राय,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में कार्य विभाग द्वारा सविदक को किये जाने वाले भुगतान में जी0एस0टी0 की गणना के संबंध में दिया गया परामर्श।

प्रसंग:- संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, बिहार का आदेश ज्ञापांक-891 दिनांक-23.11.2023

महाशय,

जल संसाधन विभाग, बिहार से प्राप्त आदेश ज्ञापांक-891 दिनांक-23.11.2023 जो वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में कार्य विभाग द्वारा सविदक को किये जाने वाले भुगतान में जी0एस0टी0 की गणना के संबंध में दिये गये परामर्श से संबंधित आदेश है, कि छायाप्रति संलग्न की जाती है।

अनुरोध है कि संलग्न आदेश में वर्णित परामर्श/तथ्यों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुधांशु शेखर राय)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-

03 (3)

पटना, दिनांक-01/01/24

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

21/12/23

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक-1/PMC/विविधि/879/2012-पार्ट-II - 891

पटना, दिनांक- 23/11/23

आदेश

वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में कार्य विभाग द्वारा संवेदक को किये जाने वाले भुगतान में जी0एस0टी0 की गणना के संबंध में निम्न परामर्श दिया गया है :-

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 (1) के प्रावधानानुसार कर की देयता अधिनियम की धारा 15 के अनुसार निर्धारित मूल्य पर होती है। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार किसी माल या सेवाओं के आपूर्ति का मूल्य उसका Transaction Value होगा जो किसी सप्लायर को आपूर्ति के विरुद्ध वास्तविक रूप से भुगतान किया जाता है। साथ ही, इस Transaction Value में जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत देय कर को छोड़कर, किसी भी अन्य कानून के अधीन देय कोई Taxes, Duties, Cess, Fees और Charges भी शामिल होंगे, यदि सप्लायर द्वारा इसे पृथक रूप से चार्ज किया गया हो। अर्थात् यदि कार्य विभाग द्वारा संवेदक को किये जाने वाले भुगतान (Transaction Value) में, जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत अधिरोपित कर (SGST, CGST, IGST एवं GST Cess) को छोड़कर, किसी भी अन्य कानून के अन्तर्गत विहित Tax, Duties, Cess, Fee और Charges का भुगतान शामिल है तो वह Transaction Value का भाग होगा एवं इस Transaction Value पर जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा-9(1) के अन्तर्गत जी0एस0टी0 की देयता होगी।

उक्त परामर्श के आलोक में नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई की जाए।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. आदेश पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।


(संजीव शैलेश)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक-1/PMC/विविधि/879/2012-पार्ट-II - 891

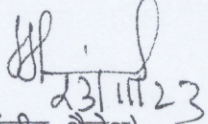
पटना, दिनांक- 23/11/23

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/ राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्य कर विभाग, बिहार/ अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार/ अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार/ अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/ अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/ अभियंता प्रमुख, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

2052
28/11/23

4052012
28/11/23

28/11/23


(संजीव शैलेश)

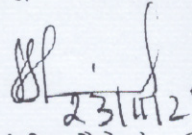
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

27

ज्ञापांक-1/PMC/विवधि/879/2012-पार्ट-II - 891

पटना, दिनांक- 23/11/13

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ सभी अभियंता प्रमुख/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4/बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल-1/2, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

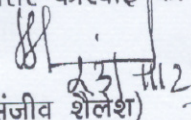

(संजीव शैलेश)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक-1/PMC/विवधि/879/2012-पार्ट-II - 891

पटना, दिनांक- 23/11/13

प्रतिलिपि :- निदेशक, क्रय भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार से उक्त प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने हेतु अद्येतर कार्रवाई की जाय।

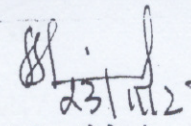

(संजीव शैलेश)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक-1/PMC/विवधि/879/2012-पार्ट-II - 891

पटना, दिनांक- 23/11/13

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 केन्द्र, जल संसाधन विभाग को ई-मेल एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(संजीव शैलेश)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

जल संसाधन विभाग
पटना